भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

<u>लोक सभा</u>
अतारांकित प्रश्न संख्या 5486

(28.03.2018 को उत्तर देने के लिए)

नई पेंशन योजना को समाप्त करना

5486. डॉ॰ रघु शर्माः
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:
श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः
श्री भैरों प्रसाद मिश्रः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नई पेंशन योजना समाप्त करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार नई पेंशन योजना 'एनपीएस' के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को पुनः शुरू करने का विचार कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को इसके लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की तुलना में नई-पेंशन योजना अधिक लाभकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय</u>
<u>(डॉ जितेंद्र सिंह)</u>

(क) से (घ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को रद्द किए जाने और सरकार द्वारा पुरानी निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग की गई है ।

सरकार ने बढ़ते और असंवहनीय पेंशन बिल पर विचार करने के पश्चात निर्धारित लाभ, उपयोगानुसार भुगतान करने की पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) नामक निर्धारित अंशदान पेंशन योजना में जाने का विवेकपूर्ण कदम उठाया है । इस परिवर्तन के कारण सरकार के सीमित संसाधनों के अधिक उत्पादनकारी तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध होने का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है ।

दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद केंद्र सरकार में भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को पुरानी पेंशन योजना से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अभिदाताओं के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देते हुए तैयार की गई है । एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए अनके लाभ उपलब्ध हैं । इसके कुछेक लाभों की सूची नीचे दी गई है:

• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सुअभिकल्पित पेंशन प्रणाली है जिसका प्रबंधन स्वतंत्र संरचना, जिसमें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियुक्त मध्यवर्ती अर्थात पेंशन निधि, अभिरक्षक, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एवं एकांउटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बैंक, प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस और वार्षिकी सेवा प्रदाता शामिल है। इसका विनियमयन वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और एनपीएस के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए स्थापित एक सांविधिक विनियामकीय निकाय, पीएफआरडीए के द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है ।

• कम लागत तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दोहरा लाभ : पेंशन धन, जिसमें सेवानिवृत्ति तक की अवधि के लिए राशि जमा की जाती है, में चक्रवृद्धि ब्याज से वृद्धि होती है । एनपीएस की संस्थागत संरचना की सभी लागत बहुत कम है ।

• कर लाभ- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एनपीएस टीयर -1 खाते के लिए किया गया अंशदान कर कटौती लाभ के लिए पात्र है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीडी (एक बी) के तहत एनपीएस टीयर -1 में किए गए अंशदान के लिए 50000 रूपए की अतिरिक्त कर छूट भी दी जाती है।

• एनपीएस अभिदाताओं द्वारा पेंशन खाते की ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से सभी भौगोलिक स्थानों और नियोजनों में पारदर्शिता और सुवाहयता सुनिश्चित की जाती है ।

• आंशिक आहरण - अभिदाता कतिपय शर्तों के अधीन, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले अपने स्वयं के अंशदान का 25% तक आहरण कर सकते हैं ।

एनपीएस से निकासी के पश्चात सरकारी कर्मचारी को देय मासिक वार्षिकी की राशि सरकारी सेवक की संचित पेंशन संपत्ति, वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किए गए संचित पेंशन संपत्ति के अंश और खरीदी गई वार्षिकी के प्रकार जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है ।

01.01.2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के अंतर्गत, पेंशन की गणना सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा और उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है ।

******